महत्वपूर्ण / शीर्ष प्राथमिकता।

संख्या–804 / छिहत्तर–1–2020–06सम / 2017

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1– समस्त मण्डलायुक्त
उत्तर प्रदेश।

2– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक 15 अप्रैल, 2020

विषयः–प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु में पेयजल समस्या के त्वरित समाधान के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत ही हैं कि प्रत्येक वर्ष ग्रीष्म ऋतु के आगमन पर कतिपय क्षेत्रों में पेयजल की समस्या उत्पन्न होती है। इसके दृष्टिगत विगत 03 वर्षों में आपके द्वारा जिलों में नोडल अधिकारी नामित करते हुए त्रिस्तरीय कन्ट्रोल रूम का गठन किया जाता रहा है और प्रशासनिक मशीनरी को लगातार अलर्ट पर रखा जाता रहा है।

2– तत्सम्बन्ध में इस वर्ष भी शासनादेश संख्या–797 / छिहत्तर–1–2020–06सम / 2017, दिनांक 06.04.2020, संख्या–798 / छिहत्तर–1–2020–06सम / 2017, दिनांक 06.04.2020 तथा संख्या– 799 / छिहत्तर–1–2020–06सम / 2017, दिनांक 06.04.2020 जारी किये गये हैं। चूंकि इस वर्ष सोशल डिस्टेन्सिंग सम्बन्धी नियमों का भी पालन किया जाना है, अतः इस दिशा में विशेष प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। कृपया सुनिश्चित करें कि तत्काल आपके जनपद में ब्लाक व जिले स्तर पर कन्ट्रोल रूम की स्थापना हो जाए और नोडल अधिकारीगण नामित हो जाए।

3– इस व्यवस्था से तहसीलों, विकास खण्डों और ग्राम पंचायतों को प्रभावी रूप से जोड़ दिया जाए और इसका व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए तथा उपरोक्त शासनादेशों में वांछित सूचनायें लगातार उपलब्ध कराई जाए।

4– कृपया यह सुनिश्चित करें कि सभी खराब हैण्डपम्प तत्काल ठीक करा दिए जाए और भविष्य में हैण्डपम्प खराब होने पर समस्या का समाधान तुरन्त कराया जाए। पर्याप्त संख्या में प्याऊ की व्यवस्था कराई जाए तथा सभी सरकारी परिसरों यथा– कलेक्ट्रेट, तहसील, थाना,

अस्पताल इत्यादि में घड़े रखवाकर अथवा अन्य व्यवस्था कराकर पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा हैण्डपम्प के साथ चरही भी बनवाई जाय। कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि प्याऊ की यह व्यवस्था जनसामान्य को सुलभ रूप से उपलब्ध हो।

5— जिन स्थानों में उपरोक्त व्यवस्थाओं के द्वारा लोगों के घरों के नजदीक तक पानी उपलब्ध कराना सम्भव न हो पा रहा हो, तो इनमें पूर्व वर्षों की भांति वांछित टैंकरों की आवश्यकता का आंकलन कर लिया जाए और उपलब्ध टैंकरों के साथ ट्रैक्टरों व ड्राइवरों के साथ लिंक किया जाए। टैंकरों के पानी उठाने के जल स्रोत भी चिन्हित किए जाए। कृपया यह कार्यवाही पूर्ण कराते हुए जनपदवार कार्य योजना दिनांक 20.04.2020 तक पूर्ण कराकर तदनुसार अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उ0प्र0 लखनऊ, मो0नं0—8933976000 ई—मेल आई0डी0—ed.swsmup@rediffmail.com श्री ए0 दिनेश कुमार, विशेष सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 शासन, दूरभाष सं0—0522—2238905, ई0मेल आई0डी0— apd@smcg-up.org पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अनुराग श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव।

संख्या—804 (1)/छिहत्तर—1—2020—06सम/2017, तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, जलशक्ति विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. श्री सुरेन्द्र राम, अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
5. श्री ए0दिनेश कुमार, विशेष सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 अम्बरीष कुमार सिंह)
अनु सचिव।

D:\2020\Sukha\GO Sukha 2018.docx